

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- रुद्रप्रयाग नगर पंचायत वन भूमि
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 17/07/2019 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजेश्वर सिंह राज, राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रदीप सिंह नेगी, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सत्यपाल द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, 0.1613 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.3638 हे०, वन पंचायत भूमि 0.01 हे० एवं नाप भूमि हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से रुद्रप्रयाग में 11738 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 0.2 वृक्षों व नाप भूमि पर वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....
.....
.....

EXECUTIVE ENGINEER,
Construction Division
Uttarakhand Pwyl Migam
(प्रयोजक)
ह0/-
जिला अधिकारी (जिलाधिकारी)
रुद्रप्रयाग

ह0/-
राजस्व विभाग का प्रतिनिधि
रुद्रप्रयाग

ह0/-
वन विभाग का प्रतिनिधि
रुद्रप्रयाग

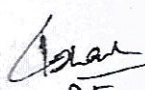
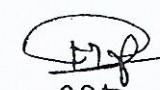
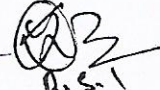
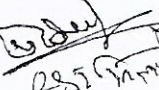
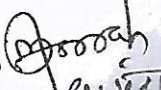
ह0/-
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

ह0/-
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)
रुद्रप्रयाग

ह0/-
(ग्राम प्रधान/वन पंचायत सरपंच)

नोट :- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।

आज दिनांक 17/07/2019 को हरप्रयाग नगर पंचायत पंचायत में निरीक्षण के लिए वन भूमि का समूह निरीक्षण किया गया समूह निरीक्षण में माचण्ड विभाग के सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग से राजस्व उप-निरीक्षक तिलनी कट्टा एवं राउपु निरीक्षक पूनाई के द्वारा प्रतिभाग किया गया। समूह निरीक्षण में माचण्ड विभाग के द्वारा अलग-अलग नदि के किनारे 10x10 मी इंच वेल इंच वेल से 100x0.90 मी पाइप लाइन तथा एमपीएलएल लाइट हेतु 100x60 मी भूमि विहित की गई जो कि राजस्व दिहाड़े के अनुसार ग्राम लगेरी की सिविल/वन पचायत भूमि है उक्त भूमि पर स्थित वृक्षों की गणना की गई एमपीएलएल लाइट से 2000x0.90 मी भाग में पाइप लाइन हेतु भूमि की विहित किया गया जो कि लगेरी एवं गवाड़ वन पचायत, जी/सिविल/नाप भूमि है। एमपीएलएल लाइट से 20x20 मी इंच निमाण हेतु चयन किया गया उक्त स्थल वृक्ष विहित है। उक्त प्रस्तावित टुक से 2000x0.90 मी पाइप लाइन हेतु चयन किया गया जो कि गवाड़ लगेरी पूनाई की सिविल/नाप भूमि है उक्त स्थल से टी लाइट लगेरी हेतु से पाइप लाइन प्रस्तावित की गई पाइप लाइन का एक भाग 2000x0.90 मी पाइप लाइन क्षेत्र जयमंडी सिविल/गवाड़ लगेरी पूनाई/नाप/सिविल भूमि में प्रस्तावित है एमपीएलएल सिविल में 10x10 मी इंच निमाण कार्य प्रस्तावित है। उक्त स्थल पर वृक्षों की गणना की गई। उक्त स्थल से 2000 मी x 0.90 मी पाइप लाइन प्रस्तावित कि जयमंडी/पूनाई की सिविल/नाप भूमि है। आरक्षित वन भूमि हरप्रयाग दिहाड़े कम्पार्ट नं० 1 में 10x10 मी पर टुक निमाण तथा टुक से 2000x0.60 मी आरक्षित वन भूमि पर पाइप लाइन तथा पूनाई 10x10 मी भाग पर टुक निमाण कार्य जो कि आरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। किरीय भाग टी-लाइट से जयमंडी क्षेत्र हेतु एमपीएलएल सा-६६/तीलीय तलु 2500x0.60 मी में पाइप लाइन हेतु विहित की गई जो कि जयमंडी एवं ग्राम सा-६६ की सिविल/वन पचायत/नाप भूमि है। एमपीएलएल में 10x10 मी इंच निमाण कार्य विहित किया गया जो कि वृक्ष विहित है। टुक स्थल से 4000x0.60 मी पाइप लाइन तथा 10x10 मी इंच निमाण कार्य जो कि सा-६६/वीला-एल की सिविल/वन पचायत/नाप भूमि है टुक निमाण स्थल वृक्ष विहित है। एमपीएलएल विभाग के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त पाइप लाइन के निमाण में किसी भी प्रकार से वृक्षों की हानि/पान नहीं हो जायेगा।

 AE
 NAE
 P.S. 1
 P.S. 2
 P.S. 3
 P.S. 4
 P.S. 5
 P.S. 6